प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 29.08.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

- **पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन मे जनपद के समस्त थानों मे नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओ का किया जा रहा निस्तारण**
- **महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, स्कमहिला हेल्प डेस्क व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर किया जा रहा जागरुक**
- **सभी का उद्देश्य जनकल्याण व मानव समाज की सेवा करना शासन-प्रशासन महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान व उनके उत्थान व सशक्तिकरण हेतु है प्रतिबद्ध**
- **समस्त थानों की महिला पुलिस कर्मी व एण्टीरोमियो टीम द्वारा मंदिरों बाजारों, स्कूलों/कालेजों व प्रमुख मार्गो पर चेकिंग भी की जा रही है।**

उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज -4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर आज दिनांक 29.08.2024 को जनपद महोबा के समस्त थानों में नियुक्त एण्टीरोमियो /शक्ति दीदी टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के ग्रामों में भ्रमण कर जनचौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना/ पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु **"शक्ति दीदी"** नियमित रुप से ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया व कराया जा रहा है।

जनचौपाल में उपस्थित महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा,नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज़-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं मे उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना,फ्री सिलाई मशीन योजना,सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना,सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना,बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान पीडितों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया, प्राप्त जन समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फरियादियों को आश्वस्त करते हुए सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश...

आज दिनांक 29.08.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी। जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया, जिससे फरियादियों के चेहरे में सम्बन्धित शिकायत के जल्द निस्तारण होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। सभी फरियादियों ने आश्वस्त होकर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा की है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 29.08.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 29.08.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी ।

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 28.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महोबकंठ श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई व0उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त पंकज सिंह खँगार पुत्र लक्ष्मी प्रसाद खँगार उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम घटेरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद करते हुए ग्राम दादरी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 163/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

पंकज सिंह खँगार पुत्र लक्ष्मी प्रसाद खँगार उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम घटेरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह
2. प्र0उ0नि0 अनुज कुमार सिंह

थाना कबरई की पुलिस टीम ने अवैध सूखे गांजे के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 29.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री नागेन्द्र कुमार नागर द्वारा गठित की गई व0उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त राधेश्याम तिवारी पुत्र स्व0 चुन्ना प्रसाद तिवारी उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम रिवई थाना कबरई जनपद महोबा जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक के थैले में 500 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद करते हुए रेलवे पुल मकरबई ग्राम मकरबई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कबरई पर मु0अ0सं0 244/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राधेश्याम तिवारी पुत्र स्व0 चुन्ना प्रसाद तिवारी उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम रिवई थाना कबरई जनपद महोबा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. व0उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा
2. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह
3. हे0का0 रामकरन
4. का0 अंकुश पाल

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने
04 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 29.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री गणेश कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 168/2024 धारा 34/504/506/306/354 भादवि से सम्बन्धित 04 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.मैयादीन पुत्र फूला उम्र 54 वर्ष 2.दुलीचन्द्र पुत्र फूला उम्र 49 वर्ष 3.बीरपाल पुत्र फूला उम्र 44 वर्ष 4.सोहनलाल पुत्र मैयादीन उम्र 21 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम करहरा खुर्द थाना चरखारी जनपद महोबा को गैरहारी बस स्टैण्ड के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. मैयादीन पुत्र फूला उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम करहरा खुर्द थाना चरखारी जनपद महोबा
2. दुलीचन्द्र पुत्र फूला उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम करहरा खुर्द थाना चरखारी जनपद महोबा
3. बीरपाल पुत्र फूला उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम करहरा खुर्द थाना चरखारी जनपद महोबा
4. सोहनलाल पुत्र मैयादीन उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम करहरा खुर्द थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह
2. हे0का0 राजकुमार सिंह
3. का0 नितिन राजपूत
4. का0 आशीष

महोबा पुलिस

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित एक नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 29.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर श्री शिवपाल सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 दिनेश सिंह, उ0नि0कन्हैयालाल पटेल, म0उ0नि0 यूटी0 शिवांगी प्रजापति व का0 विकास सरोज द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 97/24 धारा 363/366/376(3) व 6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त नीरेन्द्र यादव पुत्र स्व0 मान सिह यादव उम्र करीब 23 वर्ष निवासी स्योढ़ी थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को कैमाहा नौगाँव तिराहा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

नीरेन्द्र यादव पुत्र स्व0 मान सिह यादव उम्र करीब 23 वर्ष नि0 स्योढ़ी थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 दिनेश सिंह
2. उ0नि0कन्हैयालाल पटेल
3. म0उ0नि0यूटी0 शिवांगी प्रजापति
4 .का0विकास सरोज

थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 06 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध रुप से संचालित जुआ एवं सट्टा से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 28.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गई व0उ0नि0 सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रुपयों-पैसों से हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 06 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. महेश सोनी पुत्र स्व0 देवकीनन्दन उम्र करीब 52 वर्ष 2. उमाशंकर सोनी पुत्र रामेश्वर दयाल सोनी उम्र करीब 45 वर्ष 3. शैलेन्द्र मिश्रा पुत्र रवीशंकर मिश्रा उम्र करीब 29 वर्ष 4. सुशील यादव पुत्र स्व0 धर्मदास उम्र करीब 46 वर्ष 5. कमलेश द्विवेदी पुत्र कृष्ण चन्द्र उम्र करीब 55 वर्ष 6. उमेश सोनी पुत्र सीताराम सोनी को ग्राम बिलवई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिनकी जामा तलाशी से 2700 /- रूपये, मालफड 14900/- व 52 अदद ताश पत्ता बरामद हुये । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 420/24 धारा 13 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. महेश सोनी पुत्र स्व0 देवकीनन्दन उम्र करीब 52 वर्ष निवासी मो0 शुक्लानापुरा थाना को0नगर महोबा जनपद महोबा
2. उमाशंकर सोनी पुत्र रामेश्वर दयाल सोनी उम्र करीब 45 वर्ष निवासी बडीहाट थाना को0 नगर महोबा जनपद महोबा
3. शैलेन्द्र मिश्रा पुत्र रवीशंकर मिश्रा उम्र करीब 29 वर्ष निवासी मलकपुरा थाना को0 नगर महोबा जनपद महोबा
4. सुशील यादव पुत्र स्व0 धर्मदास उम्र करीब 46 वर्ष निवासी मो0 छिवयाना थाना को0 नगर महोबा जनपद महोबा
5. कमलेश द्विवेदी पुत्र कृष्ण चन्द्र उम्र करीब 55 वर्ष निवासी भगत सिंह नगर थाना कबरई जनपद महोबा
6. उमेश सोनी पुत्र सीताराम सोनी निवासी मलकपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 सत्यपाल सिंह
2. उ0नि0 यूटी अभिनव सिह
3. का0 मुकेश कुमार

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 29.08.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने

अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ 04 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा अवैध शस्त्र के निर्माण, विक्री एवं परिवहन करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 29.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम के व0उ0नि0 सत्यपाल सिंह, उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल, उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा द्वारा 04 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. देवेन्द्र श्रीवास पुत्र हरिचरन श्रीवास उम्र करीब 25 वर्ष 2.अनुज गुप्ता पुत्र गया प्रसाद उम्र करीब 18 वर्ष 3. चन्दू उर्फ सुरेश यादव पुत्र भीका यादव उम्र करीब 36 वर्ष, 4. शाबिर कुरैशी पुत्र बाकर उम्र करीब 52 वर्ष जिनके कब्जे से क्रमशः 1. देवेन्द्र से 01 अदद रायफल 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज 2.अनुज गुप्ता से 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर 3. चन्दू उर्फ सुरेश यादव से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर 4. शाबिर कुरैशी से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 421/24, मु0अ0सं0 422/24, मु0अ0सं0 423/24 व मु0अ0सं0 424/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त के मा0 न्यायालय के समक्ष पेश हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. देवेन्द्र श्रीवास पुत्र हरिचरन श्रीवास उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम छिकहरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
2. अनुज गुप्ता पुत्र गया प्रसाद उम्र करीब 18 वर्ष निवासी ग्राम छिकहरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
3. चन्दू उर्फ सुरेश यादव पुत्र भीका यादव उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम छिकहरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
4. शाबिर कुरैशी पुत्र बाकर उम्र करीब 52 वर्ष निवासी भीतरकोट थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 सत्यपाल सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा
2. उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल चौकी प्रभारी भटीपुरा
3. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा चौकी प्रभारी सुभाष
4. उ0नि0 शारिक मुराद 5. उ0नि0प्रशि0 अभिनव सिंह 6. का0 मुकेश सिंह
7. का0 आसवेन्द्र सिंह 8. का0 कुबेर सिंह 9. का0 संदीप